बिहार सरकार
उद्योग विभाग,
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय

पत्रांक ..../पटना, दिनांक ..../2018

सं0सं0–ह0क0(13)योजना–10/2017

प्रेषक,

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बांका/सीवान/मधुवनी/पटना/नालन्दा/औरंगाबाद।
उप विकास पदा0(वस्त्र), भागलपुर/गया ।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2015–16 में हस्तकरघा सामान्य प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चलाई गई योजनाओं का व्यय एवं प्रत्यार्पित/कोषागार में जमा की गई राशि के संबंध में।**

प्रसंगः–**स्वीकृत्यादेश सं0 3002 दि0–20.07.15, 3085 दि0–29.07.15, 3075 दि0–29.07.15, 1155 दि0–24.06.15, 259 दि0–19.01.2016, निदेशालय पत्रांक 1701 दि0–28.11.2017, पत्रांक 54 दि0– 09.01.2018 एवं पत्रांक 266 दि0– 13.02.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों का निर्देश किया जाय, जिसकें के द्वारा वित्तिय वर्ष 2015–16 में हस्तकरघा सामान्य प्रक्षेत्र के अन्तर्गत चलाई गई योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल प्रावधानों के 20 प्रतिशत से अधिक निधियों का अभ्यर्पण के मामले में प्रतिवेदन की मॉग की गई है। जिसके आलोक में निदेशालय पत्रांक 1701 दि0–28.11.2017, पत्रांक 54 दि0–09.01.2018 एवं पत्रांक 266 दि0–13.02.2018 द्वारा आप से प्रतिवेदन की मॉग की गई, साथ ही इस संबंध में दूरभाष पर भी आपको जानकारी दी गई है। इसके बावजूद भी प्रतिवेदन अप्राप्त है, जो खेद का विषय है।

अतः निदेश दिया जाता हैं कि पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे साथ ही यह भी स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में आपके द्वारा विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.. पटना, दिनांक–..

प्रतिलिपि– उप उद्योग निदेशक, उद्योग विभाग के पत्रांक–5012 दि0–23.11.2017 के संबंध में अनुपलनार्थ।

ह0/–
निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–.......768........ पटना, दिनांक–....27.4.18....

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

26.04.18

निदेशक,
हस्तकरघा एवं रेशम,
बिहार, पटना।